



Neutral Citation No. – 2026:AHC:1627

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका - बी संख्या - 3127 वर्ष 2018

कमला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

लखनऊ राजस्व बोर्ड और 3 अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	:	दुर्गेश कुमार, प्रदीप कुमार	
		द्विवेदी	
प्रतिवादी के वकील	:	सीएससी, हरि प्रकाश सिंह	

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गेश कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल की बात सुनी।
- मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/श्रीमती कमला देवी के पक्ष में दिनांक 03.10.2011 को निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे अभिलेखीय काश्तकार श्रीमती धनेशरा द्वारा निष्पादित किया गया था। तहसीलदार ने दिनांक 13.10.2016 के आदेश द्वारा दिनांक 03.10.2011 के विक्रय विलेख के आधार पर याचिकाकर्ता-कमला देवी का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी संख्या 4-विद्याधर ने उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 219 के तहत तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.10.2016 को पारित आदेश को राजस्व बोर्ड के समक्ष चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे दिनांक 15.12.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या... 4-विद्याधर ने रिट-बी संख्या 12272/2017 दायर की, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 24.03.2017 के आदेश द्वारा यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि उपजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229बी के तहत स्वामित्व मुकदमे में पारित अंतिम आदेशों का पालन उत्परिवर्तन कार्यवाही में किया जाना अनिवार्य है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर रिट याचिका खारिज होने के बाद, राजस्व बोर्ड के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की गई है और राजस्व बोर्ड ने दिनांक 24.05.2017 को अंतरिम आदेश जारी किया है। अतः, निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

याचिका दायर की गई है:-

"i. लखनऊ स्थित माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा भूमि राजस्व अधिनियम की समीक्षा याचिका संख्या 862/2017 में दिनांक 24.05.2017 को पारित आदेश को रद्द करने हेतु सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

ii. याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने और उसे आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो खाता संख्या 672, प्लॉट संख्या 758 (क्षेत्रफल 0.364 हेक्टेयर), खाता संख्या 543, प्लॉट संख्या 477 (क्षेत्रफल 0.089 हेक्टेयर) और प्लॉट संख्या 524 (क्षेत्रफल 0.1210 हेक्टेयर) पर है, जो मौजा कोचारी, पोस्ट सुरेरी परगना, तहसील मडियाहू, जिला जौनपुर में स्थित है।

iii. इस माननीय न्यायालय द्वारा कोई अन्य एवं आगे का आदेश जारी करने के लिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जो उचित और उपयुक्त लगे।

iv. याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च देने का आदेश दिया जाए।

3. इस न्यायालय ने 23.03.2018 को इस मामले पर सुनवाई की और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 24.05.2017 के आदेश पर रोक लगा दी। दिनांक 23.03.2018 का आदेश इस प्रकार है:-

राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 24.05.2017 को पारित आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 24.03.2017 के निर्णय और आदेश द्वारा उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद समीक्षा आवेदन दायर किया गया था। इस प्रकार यह सुनवाई योग्य नहीं था और इसके अलावा, दिनांक 24.05.2017 का अंतरिम आदेश प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उक्त तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर समीक्षा आवेदन पर, याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करते समय अंतरिम आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था।

इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी करें, जिसका जवाब जल्द से जल्द देना होगा।

पंजीकृत डाक द्वारा, दोनों तरीकों से एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाने हैं।

AD के साथ-साथ सामान्य प्रक्रिया भी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

नोटिस में निर्धारित तिथि पर सूची तैयार करें।

अगली सुनवाई की तारीख तक, दिनांक 15.12.2016 के आदेश के विरुद्ध समीक्षा आवेदन संख्या 862/2017 में राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 24.05.2017 को पारित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।

4. प्रतिवादी संख्या 4 को तदनुसार नोटिस जारी किया गया था, वकालतनामा दिनांक 20.04.2018 को दाखिल किया गया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कोई प्रतिवाद दाखिल नहीं किया गया है। अतः, इस रिट याचिका में किए गए कथनों के आधार पर ही इस रिट याचिका का निर्णय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि निजी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उपजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर मुकदमे का निर्णय निचली अदालत द्वारा किया जा चुका है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसे आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड द्वारा खारिज कर दी गई थी और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर रिट याचिका भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आगे बताया कि रिट याचिका खारिज होने के बाद प्रतिवादी संख्या 4 ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें राजस्व बोर्ड ने अंतरिम आदेश दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 4 पहले ही यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229बी के तहत एक मुकदमा दायर कर चुका है, इसलिए पुनरीक्षण याचिका दायर करना उचित नहीं है। राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर किया गया आवेदन विधि का पूर्णतः दुरुपयोग है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि समीक्षा आवेदन की कार्यवाही के साथ-साथ राजस्व आवेदन पर पारित अंतरिम आदेश को भी रद्द किया जाना चाहिए।

6. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

7. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड द्वारा खारिज कर दी गई थी और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर रिट याचिका भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिका खारिज होने के बाद,

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा राजस्व आवेदन दायर किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और राजस्व बोर्ड द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

8. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर याचिकाकर्ता का नाम दर्ज होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका और रिट याचिका दोनों खारिज कर दी गई थीं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं था। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि धारा 229 बी के तहत मुकदमा यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है, इसलिए यूपी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश के खिलाफ राजस्व बोर्ड के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करना कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, राजस्व बोर्ड द्वारा समीक्षा आवेदन संख्या 862/2017 में दिनांक 24.05.2017 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है और साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर समीक्षा आवेदन संख्या 862/2017 को भी खारिज किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले में आवश्यक आदेश पारित करने के लिए समीक्षा आवेदन संख्या 862/2017 में राजस्व बोर्ड, लखनऊ के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे।

11. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

12. मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026